संख्या- 24/2022/44/35-3-2022-21(01)/2019

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक:28 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद- सिद्धार्थनगर हेतु सी.सी.रोड निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद- सिद्धार्थनगर में शासनादेश संख्या-56/2020/430/35-3-2020-21(01)/2019, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा सी.सी. रोड निर्माण की परियोजना हेतु रू. 35.67 लाख (रू. पैतीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष रू. 21.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय, राज्यांश के रूप में धनराशि रू.14.27 लाख (रू. चौदह लाख सत्ताइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0 सं०	विकासखंड का नाम	परियोजना का नाम	**पी.एफ.ए.डी./एस.एल.एस.सी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत (जी.एस.टी. नियमानुसार / वास्तविक व्यय के आधार पर देय होगी)**	पूर्व में जारी धनराशि (केन्द्रांश 60 प्रतिशत)	स्वीकृत धनराशि (राज्यांश 40 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
	कार्यदायी संस्था-यू.पी.सिडको				
1	बढ़नी	ग्राम-परसा में सी.सी.रोड का निर्माण कार्य।(ल.700 मी0)	35.67	21.40	14.27
		योग	**35.67**	**21.40**	**14.27**

शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपर्युक्त तालिका में कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया गया है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- सन्दर्भित शासनादेश संख्या-56/2020/430/35-3-2020-21(01)/2019, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सी.सी.रोड निर्माण की परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्य की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नही होगी।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

7- प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

10- प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

11- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करना चाहेंगे।

12- प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत भी सक्षम स्तर का अनुमोदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- प्रशा0 विभाग द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रशा0 विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

15- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक मार्च 22, 2021 का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40- में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम -800-अन्य व्यय-09-सी.सी.रोड एवं के.सी.ड्रेन निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था (केन्द्रांश/60+राज्यांश-40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-117(3)/दस-2021 दिनांक 18 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

संख्या- 24/2022/44(1)/ 35-3-2022-21(01)/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
4- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
5- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
10- उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या), बस्ती मण्डल ।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in